

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/स्था/अराज/एमसी/2021


रीवा, दिनांक

आदेश

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक 15633/स्था/अराज/एमसी/2021, रीवा, दिनांक 23.07.2021 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संबद्ध चिकित्सालय में सह-चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एम.पी. ऑनलाइन द्वारा आयोजित परीक्षा दिनांक 09.09.2021 के परिणाम पश्चात् दिनांक 29.11.2021 से 01.12.2021 तक आयोजित मूल अभिलेखों के परीक्षण उपरांत निम्नलिखित उपयुक्त पाये गये उम्मीदवार को प्रवीण्यता के क्रम में चयनित करते हुए फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के पद पर सातवें वेतनमान 25300-80500 (लेवल-6) में न्यूनतम वेतन रूपये 25300/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान कर स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी_संवर्ग
1.	प्रियंका कुशवाह पिता श्री धीरज सिंह कुशवाह	ग्राम खैरवाया पोस्ट समाया तह. भितरवार जिला ग्वालियर म.प्र. पिन कोड 475110	अना._बिना वर्ग_ओपन
2.	राहिल मंसूरी पिता मो. यूसुफ मन्सूरी	म.न. 05 पंचमपुरा मोहल्ला ईदगाह वार्ड नं 8 पोडी कटंगी जबलपुर म.प्र. पिनकोड 483105	अना._बिना वर्ग_ओपन
3.	निर्मल सिंह यादव पिता श्री देवेन्द्र सिंह	एम.एस. रोड. गोपालपुरा मुरैना म.प्र. पिनकोड 476001	अपिव._बिना वर्ग_ओपन
4.	आकाश कश्यप पिता श्री कृष्ण कुमार कश्यप	एल.आई.जी. 342, भूकंप कालोनी धनवन्तरी नगर, महाराणा प्रताप वार्ड गढ़ा जबलपुर म.प्र. पिनकोड 482003	अपिव._बिना वर्ग_ओपन
5.	गरिमा पाटीदार पिता श्री राजेन्द्र पाटीदार	ग्राम मोरगडी तह. धरमपुरी जिला धार म.प्र. पिनकोड 454552	अपिव._बिना वर्ग_ओपन
6.	सुनील कुमार साकेत पिता श्री बाबुलाल साकेत	ग्राम धुआडोल, पोस्ट भदौरा धुआडोल, महखोर, सीधी, मझौली मध्यप्रदेश 486669	अजा._बिना वर्ग_ओपन
7.	राहुल सिंघल पिता श्री ओम नारायण सिंघल	पटाखा गोदाम के पीछे, व्ही.आई.पी. कॉलोनी, गुना म.प्र. 473001	ई.डब्ल्यू.एस._बिना वर्ग_ओपन
8.	अन्युल चतुर्वेदी पिता श्री संतोष चतुर्वेदी	म.न. 130/4 वार्ड नं. 4 जय हिन्द स्कूल गली व्ही.व्ही. गिरी वार्ड पचमढी रोड़ पिपरिया, होशंगाबाद म.प्र. 461775	ई.डब्ल्यू.एस._बिना वर्ग_ओपन
9.	गौरव दिलेरिया पिता श्री सीताराम दिलेरिया	ग्राम नटेरन तह. नटेरन जिला विदिशा म.प्र. 464258	अजा._बिना वर्ग_ओपन
10.	शिवा सेन पिता श्री श्याम लाल सेन	म.न. 85 वार्ड नं. 04, ग्राम पो. रजवांस मालथोन रजवांस सागर म.प्र. 470442	अपिव._बिना वर्ग_महिला

क्रमशः पेज-02


13/12/2021

नियुक्ति की शर्तें:-

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
5. परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टापेंड के रूप में देय होगी।
6. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर न्यूनतम वेतन रूपये- 25300/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
7. सेवार्यें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. नियुक्त व्यक्ति "म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965" एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018" के अधीन शासित होंगे।
9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवार्यें समाप्त की जा सकेगी।
10. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
11. नियुक्त व्यक्ति को 50/-रूपये के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
12. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवार्यें समाप्त की जा सकेगी।
13. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।

नोट:- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)


28109-116

पृ.क्र...../स्था/अराज/एमसी/2021,

रीवा, दिनांक 13.12.21

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
4. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा।
6. कार्यालय लेखाशाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की ओर लेख है कि, संबंधित का वेतन भुगतान मांग संख्या 52 - 2210 - 01 - 110 - 1353 - 0101 - 42 -002 (सहायक अनुदान मद) में विकलनीय होगा।
7. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु. 4/- का ट्रेजरी चालान हेड-0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/स्था/अराज/एमसी/2021

रीवा, दिनांक

आदेश

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5-2-2018/1/03 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 द्वारा जारी संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों के नियुक्ति के अवसर प्रदान किये जाने हेतु नीति-निर्देश के पालन में कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक 15633/स्था/अराज/एमसी/2021, रीवा, दिनांक 23.07.2021 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संबद्ध चिकित्सालय में सह-चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एम.पी. ऑनलाइन द्वारा आयोजित परीक्षा दिनांक 09.09.2021 के परिणाम पश्चात दिनांक 29.11.2021 से 01.12.2021 तक आयोजित मूल अभिलेखों के परीक्षण उपरांत निम्नलिखित उपयुक्त पाये गये संविदा उम्मीदवारों को प्रवीण्यता के क्रम में चयनित करते हुए फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के पद पर सातवें वेतनमान 25300-80500 (लेवल-6) में न्यूनतम वेतन रूपये- 25300/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान कर स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी_संवर्ग
1.	राजीव कुमार कारपेंटर पिता श्री मोलाई प्रसाद कारपेंटर	ग्राम शाहपुर पो. ककलपुर थाना. तह. अमरपाटन, जिला सतना म.प्र. 480994	अपिव. बिना वर्ग_ओपन
2.	विद्या सागर गौतम पिता श्री शारदा प्रसाद	निवासी हरिपुरा जैन कॉलेज के पीछे, वार्ड नं. 36 विदिशा म.प्र. 464001	अजा. बिना वर्ग_ओपन

नियुक्ति की शर्त:-

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
5. परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
6. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर न्यूनतम वेतन रूपये 25300/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
7. सेवायें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः पेज-02

8. नियुक्त व्यक्ति "म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965" एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018" के अधीन शासित होंगे।
9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
10. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
11. नियुक्त व्यक्ति को 50/-रुपये के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
12. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
13. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।

नोट:- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 13.12.21

28093-100

पृ.क्र...../स्था/अराज/एमसी/2021.

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
4. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा।
6. कार्यालय लेखाशाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की ओर लेख है कि, संबंधित का वेतन भुगतान मांग संख्या 52 - 2210 - 01 - 110 - 1353 - 0101 - 42 - 002 (सहायक अनुदान मद) में विकलनीय होगा।
7. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु. 4/- का ट्रेजरी चालान हेड-0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/स्था/अराज/एमसी/2021

रीवा, दिनांक

आदेश

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक 15633/स्था/अराज/एमसी/2021, रीवा, दिनांक 23.07.2021 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संबद्ध चिकित्सालय में सह-चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एम.पी. ऑनलाइन द्वारा आयोजित परीक्षा दिनांक 09.09.2021 के परिणाम पश्चात दिनांक 29.11.2021 से 01.12.2021 तक आयोजित मूल अभिलेखों के परीक्षण उपरांत निम्नलिखित उपयुक्त पाये गये उम्मीदवार को प्रवीण्यता के क्रम में चयनित करते हुए फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के पद पर सातवें वेतनमान 25300-80500 (लेवल-6) में न्यूनतम वेतन रूपये 25300/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय में संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के अधीन पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी_संवर्ग
1.	उर्मिला डावर पिता श्री कैलाश चन्द्र डावर	क्वाटर नं. टाईप 3/31 शास्त्री नगर कॉलोनी थाठीपुर, ग्वालियर म.प्र. 474011	अजजा_बिना वर्ग_ओपन
2.	वीरेन्द्र रावत पिता श्री मोहन रावत	6 भाग्यलक्ष्मी कॉलोनी श्याम नगर के पास इन्दौर म.प्र. पिन 452010	अजजा_बिना वर्ग_ओपन
3.	नेहा मरावी पिता श्री मनीराम मरावी	ग्राम केवलारी कला पोस्ट घुटास तह. बुआ बिछिया जिला मण्डला म.प्र. पिन 481995	अजजा_बिना वर्ग_ओपन
4.	योगिता सिंह पिता श्री खेल सिंह	वार्ड नं. 00, ग्राम मलहरा पोस्ट बिजौरी, तहसील मानपुर, मलहारा, बिजुरी, उमरिया, मध्यप्रदेश पिन. 484665	अजजा_बिना वर्ग_महिला

नियुक्ति की शर्त:-

- आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
- उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
- परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
- परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर न्यूनतम वेतन रूपये- 25300/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

क्रमशः पेज-02

7. सेवायें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
 8. नियुक्त व्यक्ति "म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965" एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018" के अधीन शासित होंगे।
 9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
 10. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
 11. नियुक्त व्यक्ति को 50/-रूपये के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
 12. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
 13. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 14. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
- नोट:-** प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 13.12.21

28101-108

पृ.क्र...../स्था/अराज/एमसी/2021,

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
4. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा।
6. कार्यालय लेखाशाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
7. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु. 4/- का ट्रेजरी चालान हेड-0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/स्था/अराज/एमसी/2021

रीवा, दिनांक

आदेश

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5-2-2018/1/03 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 द्वारा जारी संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों के नियुक्ति के अवसर प्रदान किये जाने हेतु नीति-निर्देश के पालन में कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक 15633/स्था/अराज/एमसी/2021, रीवा, दिनांक 23.07.2021 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संबद्ध चिकित्सालय में सह-चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एम.पी. ऑनलाइन द्वारा आयोजित परीक्षा दिनांक 09.09.2021 के परिणाम पश्चात् दिनांक 29.11.2021 से 01.12.2021 तक आयोजित मूल अभिलेखों के परीक्षण उपरांत निम्नलिखित उपयुक्त पाये गये संविदा उम्मीदवार को प्रवीण्यता के क्रम में चयनित करते हुए **लैब असिस्टेंट** के पद पर सातवें वेतनमान 28700-91300 (लेवल-7) में न्यूनतम वेतन रूपये 28700/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान कर स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी_संवर्ग
1.	अर्पणा आर्या पिता श्री बलवंत आर्या	198, पी.एच. नं. 2, दामजीपुरा, बैतुल म.प्र. पिन कोड 461441	अपिव_बिना वर्ग_ओपन

नियुक्ति की शर्तें:-

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
5. परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
6. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर न्यूनतम वेतन रूपये 28700/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
7. सेवायें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एकज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तैदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः पेज-02

8. नियुक्त व्यक्ति "म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965" एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018" के अधीन शासित होंगे।
9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
10. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
11. नियुक्त व्यक्ति को 50/-रूपये के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
12. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
13. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।

नोट:- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 13.12.21

28117-124

पृ.क्र...../स्था/अराज/एमसी/2021.

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
4. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा।
6. कार्यालय लेखाशाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की ओर लेख है कि, संबंधित का वेतन भुगतान मांग संख्या 52 - 2210 - 01 - 110 - 1353 - 0101 - 42 -002 (सहायक अनुदान मद) में विकलनीय होगा।
7. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु. 4/- का ट्रेजरी चालान हेड-0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/स्था/अराज/एमसी/2021

रीवा, दिनांक

आदेश

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक 15633/स्था/अराज/एमसी/2021, रीवा, दिनांक 23.07.2021 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संबद्ध चिकित्सालय में सह-चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एम.पी. ऑनलाइन द्वारा आयोजित परीक्षा दिनांक 09.09.2021 के परिणाम पश्चात दिनांक 29.11.2021 से 01.12.2021 तक आयोजित मूल अभिलेखों के परीक्षण उपरांत निम्नलिखित उपयुक्त पाये गये उम्मीदवार को प्रवीण्यता के क्रम में चयनित करते हुए टी.बी. एण्ड चेस्ट हेल्थ विजिटर के पद पर सातवें वेतनमान 25300-80500 (लेवल-6) में न्यूनतम वेतन रूपये 25300/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान कर स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी_संवर्ग
1.	जय कुमार राय पिता श्री सुख चैन प्रसाद राय	प्लॉट नं 14, राय किराना स्टोर के पास, पटेल नगर, जबलपुर म.प्र. पिन-482004	अना_बिना वर्ग_ओपन
2.	नारान सिंह पटेल पिता श्री फूल सिंह पटेल	काछी पिपरिया, रहली जिला सागर म.प्र. पिन- 470227	अपिव_बिना वर्ग_ओपन

नियुक्ति की शर्त:-

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
5. परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
6. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर न्यूनतम वेतन रूपये- 25300/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
7. सेवार्यें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः पेज-02

8. नियुक्त व्यक्ति "म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965" एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018" के अधीन शासित होंगे।
9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
10. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
11. नियुक्त व्यक्ति को 50/-रूपये के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
12. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
13. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।

नोट:- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 13.12.21.

28185-93
पृ.क्र...../स्था/अराज/एमसी/2021.

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
4. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा।
6. कार्यालय लेखाशाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की ओर लेख है कि, संबंधित का वेतन भुगतान मांग संख्या 52 - 2210 - 01 - 110 - 1353 - 0101 - 42 -002 (सहायक अनुदान मद) में विकलनीय होगा।
7. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु. 4/- का ट्रेजरी चालान हेड-0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।
8. विभागाध्यक्ष, पल्कोनरी, रीवा (म.प्र.)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/स्था/अराज/एमसी/2021

रीवा, दिनांक

आदेश

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक 15633/स्था/अराज/एमसी/2021, रीवा, दिनांक 23.07.2021 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संबद्ध चिकित्सालय में सह-चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एम.पी. ऑनलाइन द्वारा आयोजित परीक्षा दिनांक 09.09.2021 के परिणाम पश्चात दिनांक 29.11.2021 से 01.12.2021 तक आयोजित मूल अभिलेखों के परीक्षण उपरांत निम्नलिखित उपयुक्त पाये गये उम्मीदवार को प्रवीण्यता के क्रम में चयनित करते हुए डेंटल टेक्नीशियन के पद पर सातवें वेतनमान 28700-91300 (लेवल-7) में न्यूनतम वेतन रूपये 28700/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान कर स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी_संवर्ग
1.	मीना लोधी पिता श्री प्रागीलाल	ग्राम मनपुरा, पो. मनपुरा, तह. पिछोर, जिला शिवपुरी म.प्र. पिन- 473670	अपिव._बिना वर्ग_ओपन

नियुक्ति की शर्त:-

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
5. परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
6. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर न्यूनतम वेतन रूपये- 28700/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
7. सेवार्ये नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः पेज-02

8. नियुक्त व्यक्ति "म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965" एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018" के अधीन शासित होंगे।
9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
10. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
11. नियुक्त व्यक्ति को 50/-रूपये के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
12. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
13. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।

नोट:- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)


मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 13.12.21

28/76-184
पृ.क्र...../स्था/अराज/एमसी/2021,

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
4. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा।
6. कार्यालय लेखाशाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की ओर लेख है कि, संबंधित का वेतन भुगतान मांग संख्या 52 - 2210 - 01 - 110 - 1353 - 0101 - 42 -002 (सहायक अनुदान मद) में विकलनीय होगा।
7. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु. 4/- का ट्रेजरी चालान हेड-0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

8. विभागाध्यक्ष द.स. रोग विभाग।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक 28160 /स्था/अराज/एमसी/2021

रीवा, दिनांक 13.12.21

आदेश

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्र. 15633/स्था/अराज/एमसी/2021, रीवा, दिनांक 23.07.2021 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संबद्ध चिकित्सालय में सह-चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अनुसूचित जनजाति में आदिम जाति समुदाय के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों के आधार पर म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. एफ-6-1/2002/अ.प्र./एफ भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2018 द्वारा म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम- 1988 के नियम-4 (ख) में संशोधन की अधिसूचना म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में 16 फरवरी 2018 के अंतर्गत "4 ख के प्रावधानों एवं निर्देशों के परिपालन में दिनांक 29.11.2021 से 01.12.2021 तक आयोजित मूल अभिलेखों के परीक्षण उपरांत निम्नलिखित उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारों को प्रवीण्यता के क्रम में चयनित करते हुए **लैब अटेंडेन्ट** के पद पर सातवें वेतनमान 15500-49000 (लेवल-1) में न्यूनतम वेतन रुपये 15500/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान कर स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी_संवर्ग
1.	ज्योति बैग पिता श्री रघुनाथ बैगा	ग्राम बोडरी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल म.प्र., पिन-484110	एस.टी._बिना वर्ग_ओपन.
2.	मोती बैगा पिता श्री रघुनाथ बैगा	ग्राम बोडरी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल म.प्र., पिन-484110	एस.टी._बिना वर्ग_ओपन.
3.	सावित्री भारती पिता श्री अटरसी भारती	ग्राम बटकी ढाना, लिंगा, पो. बिजोरी, तामिया, जिला छिन्दवाड़ा म.प्र. पिन-480559	एस.टी._बिना वर्ग_महिला
4.	संतोषी बैगा पिता श्री मधई बैगा	वार्ड नं. 08, ग्राम केमानिया, उपर टोला, केल्मानिया जिला शहडोल म.प्र. पिन -484001	एस.टी._बिना वर्ग_महिला


नियुक्ति की शर्त:-

- आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
- उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।

क्रमशः पेज-02

5. परीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टांपेड के रूप में देय होगी।
6. परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर न्यूनतम वेतन रूपये 15500/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
7. सेवार्यें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियों) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. नियुक्त व्यक्ति "म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965" एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018" के अधीन शासित होंगे।
9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवार्यें समाप्त की जा सकेगी।
10. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
11. नियुक्त व्यक्ति को 50/-रूपये के स्टांप में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
12. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवार्यें समाप्त की जा सकेगी।
13. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. नियुक्त उम्मीदवारों को परीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।

नोट:- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।



(डॉ. मनोज इन्दूरकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

रीवा, दिनांक 13.12.21

28168-175


पृ.क्र...../स्था/अराज/एमसी/2021,

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
4. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।

क्रमशः पेज-03

5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा।
6. स्थानीय कार्यालय लेखाशाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की ओर लेख है कि, संबंधित का वेतन भुगतान मांग संख्या 52 - 2210 - 01 - 110 - 1353 - 0101 - 42 -002 (सहायक अनुदान मद) में विकलनीय होगा।
7. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु. 4/- का ट्रेजरी चालान हेड-0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/स्था/अराज/एमसी/2021

रीवा, दिनांक

आदेश

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्र. 15633/स्था/अराज/एमसी/2021, रीवा, दिनांक 23.07.2021 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संबद्ध चिकित्सालय में सह-चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एम.पी. ऑनलाइन द्वारा आयोजित परीक्षा दिनांक 09.09.2021 के परिणाम एवं दिनांक 29.11.2021 से 01.12.2021 तक आयोजित मूल अभिलेखों के परीक्षण उपरांत निम्नलिखित उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारों को प्रवीण्यता के क्रम में चयनित करते हुए **लैब अटेंडेन्ट** के पद पर सातवें वेतनमान 15500-49000 (लेवल-1) में न्यूनतम वेतन रूपये 15500/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान कर स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी_संवर्ग
1.	दीपिका सिंह पिता श्री मनोज सिंह	ग्राम लभौली, पोस्ट कहीर, तहसील सिरमौर, जिला रीवा, म.प्र., पिन-486440	अनारक्षित_बिना वर्ग_ओपन
2.	अभिषेक यादव पिता श्री सुरेश कुमार यादव	म.नं. 280, सुंदरपुर, ग्राम पंचायत भवन के पास, जिला जबलपुर, म.प्र., पिन-482005	अनारक्षित_बिना वर्ग_ओपन
3.	अंजना पाण्डेय पिता श्री विनोद कुमार पाण्डेय	ग्राम बंजारी, पोस्ट गुढ़, तहसील गुढ़, जिला रीवा, म.प्र., पिन-486553	अनारक्षित_बिना वर्ग_ओपन
4.	अनिल सिंह पिता श्री राजेन्द्र सिंह	चौधरी गंधर्व सिंह गुर्जर, ग्राम रौपुरा, तहसील गोरमी, पोस्ट मेहगांव, जिला मिण्ड, म.प्र., पिन-477660	अपिव_बिना वर्ग_ओपन
5.	अमित कुमार द्विवेदी पिता श्री राम खिलावन द्विवेदी	पुरानी बस्ती, चौरसिया मोहल्ला, मैहर, जिला सतना, म.प्र., पिन-485771	ई.डब्ल्यू.एस._बिना वर्ग_ओपन
6.	अरविन्द पटेल पिता श्री बैजनाथ पटेल	ग्राम कोठी, पोस्ट खौर, गड्डी रोड, रीवा, म.प्र., पिन-486001	अपिव_बिना वर्ग_ओपन
7.	रामानंद भारती पिता श्री रामकृपाल साकेत	आई.टी.आई. के सामने, नीम चौराहा, बोदा बाग, रीवा, म.प्र., पिन-486001	अजा_दिव्यांग
8.	राकेश कुमार वर्मा पिता श्री मुन्ना लाल वर्मा	म.नं. 142, वार्ड नं. 24, शंकराचार्य वार्ड, पुरानी सीधी, पोस्ट सीधी, जिला सीधी, म.प्र., पिन-486661	अपिव_बिना वर्ग_ओपन
9.	सुभाना बाई पटेल पिता श्री हजारी लाल पटेल	11/455, वार्ड नं. 11 पार्ट 2, इंदिरा नगर, हुजूर जिला रीवा, म.प्र., पिन-486001	अपिव_बिना वर्ग_महिला


क्रमशः पेज-02

(Handwritten Signature)

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी_संवर्ग
10.	दीपक तिवारी पिता श्री सोमधर तिवारी	11/203, राजीव गांधी वार्ड, घुरहटा, टिकुरी टोला, तहसील मऊगंज, रीवा, म.प्र., पिन- 486331	ई.डब्ल्यू.एस. बिना वर्ग_ओपन
11.	रवि वर्मा पिता श्री दददी प्रसाद वर्मा	ग्राम बहेरी ननकार, पोस्ट ढेरा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा, म.प्र., पिन-486333	अजा_बिना_वर्ग_ओपन

नियुक्ति की शर्त:-

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
5. परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
6. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर न्यूनतम वेतन रूपये- 15500/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
7. सेवायें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. नियुक्त व्यक्ति "म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965" एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018" के अधीन शासित होंगे।
9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
10. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
11. नियुक्त व्यक्ति को 50/-रूपये के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
12. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।



क्रमशः पेज-03

13. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. नियुक्त उम्मीदवारों को परीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।

नोट:- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)


मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

28160-167
पृ.क्र...../स्था/अराज/एमसी/2021,

रीवा, दिनांक 13.12.21

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
4. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा।
6. कार्यालय लेखाशाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की ओर लेख है कि, संबंधित का वेतन भुगतान मांग संख्या 52 - 2210 - 01 - 110 - 1353 - 0101 - 42 - 002 (सहायक अनुदान मद) में विकलनीय होगा।
7. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु. 4/- का ट्रेजरी चालान हेड-0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/स्था/अराज/एमसी/2021

रीवा, दिनांक

आदेश

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्र. 15633/स्था/अराज/एमसी/2021, रीवा, दिनांक 23.07.2021 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संबद्ध चिकित्सालय में सह-चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एम.पी. ऑनलाइन द्वारा आयोजित परीक्षा दिनांक 09.09.2021 के परिणाम एवं दिनांक 29.11.2021 से 01.12.2021 तक आयोजित मूल अभिलेखों के परीक्षण उपरांत निम्नलिखित उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारों को प्रवीण्यता के क्रम में चयनित करते हुए **लेब अटेंडेन्ट** के पद पर सातवें वेतनमान 15500-49000 (लेवल-1) में न्यूनतम वेतन रूपये 15500/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान कर स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय में संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के अधीन पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी_संवर्ग
1.	प्रदीप कुमार पिता श्री रामकिशोर	बारौन पुरा, वार्ड नं. 08, लहार, जिला भिण्ड, म.प्र., पिन- 477445	ई.डब्ल्यू.एस._बिना वर्ग_ओपन
2.	हर्षिता सोनी पिता श्री जगत प्रकाश सोनी	ई.डब्ल्यू.एस. 33, वार्ड नं. 22, उत्तैली, रघुराजनगर, जिला सतना, म.प्र., पिन- 485001	अपिव_बिना वर्ग_महिला
3.	नम्रता सिंह ठाकुर पिता श्री अजय सिंह ठाकुर	127, राजुल सिटी, ज्ञानोदय स्कूल के पास, गंगानगर, गरहा, जिला जबलपुर, म.प्र., पिन- 482003	अपिव_बिना वर्ग_महिला

नियुक्ति की शर्त:-

1. आदेश जारी होने के दिनांक से **15 दिवस** के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
5. परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी।

क्रमशः पेज-02

6. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर न्यूनतम वेतन रूपये 15500/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
7. सेवार्य नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. नियुक्त व्यक्ति "म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965" एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018" के अधीन शासित होंगे।
9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवार्य समाप्त की जा सकेगी।
10. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
11. नियुक्त व्यक्ति को 50/-रूपये के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
12. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवार्य समाप्त की जा सकेगी।
13. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।

नोट:- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 13.12.21

28152-159

पृ.क्र...../स्था/अराज/एमसी/2021,

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
4. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा।
6. स्थानीय कार्यालय लेखाशाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
7. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु. 4/- का ट्रेजरी चालान हेड-0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/स्था/अराज/एमसी/2021

रीवा, दिनांक

आदेश

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्र. 15633/स्था/अराज/एमसी/2021, रीवा, दिनांक 23.07.2021 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संबद्ध चिकित्सालय में सह-चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एम.पी. ऑनलाइन द्वारा आयोजित परीक्षा दिनांक 09.09.2021 के परिणाम एवं दिनांक 29.11.2021 से 01.12.2021 तक आयोजित मूल अभिलेखों के परीक्षण उपरांत निम्नलिखित उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारों को प्रवीण्यता के क्रम में चयनित करते हुए ओ.टी. अटेंडेन्ट के पद पर सातवें वेतनमान 16100-50900 (लेवल-2) में न्यूनतम वेतन रूपये 16100/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान कर स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय में संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के अधीन पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी_संवर्ग
1.	दिनेश कुमार बराठे पिता श्री नारायण बराठे	म.नं. एस.-115, अनेक्स कॉलोनी, सिंगापुर टाउनशिप, जिला इंदौर, म.प्र., पिन 453771	अधिव_बिना वर्ग_ओपन

नियुक्ति की शर्त:-

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
5. परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
6. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर न्यूनतम वेतन रूपये- 15500/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
7. सेवायें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः पेज-02

8. नियुक्त व्यक्ति "म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965" एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018" के अधीन शासित होंगे।
 9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
 10. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
 11. नियुक्त व्यक्ति को 50/-रूपये के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
 12. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
 13. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 14. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
- नोट:-** प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 13.12.21

20143-15)

पृ.क्र...../स्था/अराज/एमसी/2021,

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
4. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा।
6. कार्यालय लेखाशाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
7. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु. 4/- का ट्रेजरी चालान हेड-0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।
8. विभागाध्यक्ष निस्चेतना विभाग।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/स्था/अराज/एमसी/2021

रीवा, दिनांक

आदेश

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्र. 15633/स्था/अराज/एमसी/2021, रीवा, दिनांक 23.07.2021 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संबद्ध चिकित्सालय में सह-चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अनुसूचित जनजाति में आदिम जाति समुदाय के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों के आधार पर म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. एफ-6-1/2002/अ.प्र./एफ भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2018 द्वारा म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम-1988 के नियम-4 (ख) में संशोधन की अधिसूचना म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में 16 फरवरी 2018 के अंतर्गत "4 ख के प्रावधानों एवं निर्देशों के परिपालन में दिनांक 29.11.2021 से 01.12.2021 तक आयोजित मूल अभिलेखों के परीक्षण उपरांत निम्नलिखित उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारों को प्रवीण्यता के क्रम में चयनित करते हुए **ओ.टी. अर्टेंडेन्ट** के पद पर सातवें वेतनमान 16100-50900 (लेवल-2) में न्यूनतम वेतन रूपये 16100/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान कर स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय में संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के अधीन पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी_संवर्ग
1.	ज्योति बैग पिता श्री रघुनाथ बैगा	ग्राम बोडरी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल म.प्र., पिन 484110	एस.टी._बिना वर्ग_ओपन.

नियुक्ति की शर्तें:-

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
5. परीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
6. परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर न्यूनतम वेतन रूपये 16100/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

क्रमशः पेज-02

7. सेवार्यें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. नियुक्त व्यक्ति "म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965" एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018" के अधीन शासित होंगे।
9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवार्यें समाप्त की जा सकेगी।
10. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
11. नियुक्त व्यक्ति को 50/-रूपये के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
12. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवार्यें समाप्त की जा सकेगी।
13. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।

नोट:- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 13.12.21

20134-142

पृ.क्र...../स्था/अराज/एमसी/2021,

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
4. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा।
6. कार्यालय लेखाशाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
7. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु. 4/- का ट्रेजरी चालान हेड-0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

8. विभागाध्यक्ष-नियुक्ती विभाग।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/स्था/अराज/एमसी/2021

रीवा, दिनांक

आदेश

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक 15633/स्था/अराज/एमसी/2021, रीवा, दिनांक 23.07.2021 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संबद्ध चिकित्सालय में सह-चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एम.पी. ऑनलाइन द्वारा आयोजित परीक्षा दिनांक 09.09.2021 के परिणाम पश्चात दिनांक 29.11.2021 से 01.12.2021 तक आयोजित मूल अभिलेखों के परीक्षण उपरांत निम्नलिखित उपयुक्त पाये गये उम्मीदवार को प्रवीण्यता के क्रम में चयनित करते हुए एक्स-रे अटेंडेंट के पद पर सातवें वेतनमान 16100-50900 (लेवल-2) में न्यूनतम वेतन रुपये- 16100/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान कर स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय में संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के अधीन पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी_संवर्ग
1.	वीर प्रताप सिंह बघेल पिता श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह	ग्राम खोहा पो. चौखंडी, थाना अतरैला, तहसील जवा, जिला रीवा म.प्र. पिन 486447	अना_बिना वर्ग_ओपन

नियुक्ति की शर्त:-

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
5. परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
6. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर न्यूनतम वेतन रुपये- 16100/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
7. सेवार्यें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का ब्रेतन देकर समाप्त की जा सकेगी एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः पेज-02

8. नियुक्त व्यक्ति "म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965" एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018" के अधीन शासित होंगे।
9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवारत समाप्त की जा सकेगी।
10. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
11. नियुक्त व्यक्ति को 50/-रूपये के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
12. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवारत समाप्त की जा सकेगी।
13. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।

नोट:- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 13.12.21

20125-133

पृ.क्र...../स्था/अराज/एमसी/2021,

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
4. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा।
6. कार्यालय लेखाशाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
7. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु. 4/- का ट्रेजरी चालान हेड-0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

8. विभागाध्यक्ष वेरिफिकेशन विभाग।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)